भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

K 934351

- 5 MAY 2022

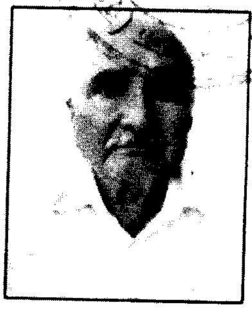

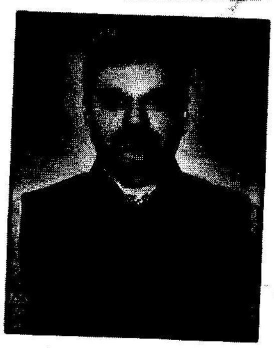

-:किरायानामा:-

यह किरायानामा आज बमुकाम जोधपुर में लिख देता हूँ कि मैं **श्री पितर शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष श्री पुनाराम चौधरी पुत्र श्री प्रभुराम चौधरी,** उम्र - 50 वर्ष, जाति-जाट, निवासी ग्राम डिगाडी कल्लां, तहसील व जिला जोधपुर में रहने वाला (जिन्हें आगे इस किरायानामा में प्रथम पक्षकार यानि कि किरायेदार के नाम से सम्बोधित जायेगा नें,

ब ह क

आप **श्री परबूराम उर्फ प्रभुराम चौधरी पुत्र श्री रुपाराम चौधरी,** उम्र 76 वर्ष, जाति-जाट, निवासी-ग्राम डिगाडी कल्ला, तहसील व जिला जोधपुर में रहने वाले, (जिन्हें आगे इस किरायानामा में द्वितीय पक्षकार यानि कि जायदाद मालिक के नाम से सम्बोधित किया जायेगा), के हक में तहरीर व तकमील कर देता हूँ कि –

संक्षिप्त विवरण :-

यह है कि द्वितीय पक्षकार यानि जायदाद मालिक **श्री प्रभुराम चौधरी** की स्वयं की खातेदारी सुदा, काश्त सुदा, बंटवाडा सुदा व कब्जा सुदा की भूमि खसरा संख्या-156, खातोनी संख्या-270 New -ग्राम डिगाडी कल्ला, तहसील व जिला जोधपुर, तहसील व जिला - जोधपुर में स्थित है।

यह है कि आप द्वितीय पक्षकार जायदाद मालिक ने मुझ प्रथम पक्षकार किरायेदार को अपनी भूमि में से जिसका क्षेत्रफल 9715.98 वर्गमीटर यानि कि 104581.93 वर्गफुट जिसमें निर्मित क्षेत्रफल 104581.93 वर्गफुट को विद्यालय संचालन हेतू किराया पर दिया है, जिसका प्रतिमाह किराया 12,000 / - अक्षरे बारह हजार रूपये मात्र के हिसाब से दिनांक 20/06/2022 से 19/06/2052 अगामी 30 वर्ष तक के लिए किराये पर दिया था, जिसका किरायानामा का दस्तावेज मुझ प्रथम पक्षकार द्वारा आप द्वितीय पक्षकार के पक्ष में आज दिनांक 27/06/2022 को निष्पादित किया जा रहा है, जिसकी किरायेदारी की शर्तें तय की गई है, जो कि निम्नलिखित है:-

किरायेदारी की शर्ते

1. यह है कि मैं प्रथम पक्षकार आप द्वितीय पक्षकार से उक्त किरायासुदा जायदाद को दिनांक 20/06/2022 से किराये पर लिया था, जिसका किराया 20/06/2022 से ही लागु हो गया था।
2. यह है कि मुझ प्रथम पक्षकार द्वारा उक्त किरायेसुदा जायदाद को किराया अंग्रेजी माह की 01 से 05 तारीख के मध्य प्रतिमाह आप द्वितीय पक्षकार को किराया अदा करता रहूंगा, जिसमें मुझ प्रथम पक्षकार की किसी प्रकार की चुक या अनाकानी नहीं की जावेगी।
3. यह है कि उक्त किरायानामा 30 वर्ष तक वैध रहेगा तथा यदि भविष्य में दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति होगी तो उक्त किरायेदारी को आगे बढाई जा सकेगी।

Presentation Endorsement

आज दिनांक 27 माह 06 सन् 2022 को 11:50 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SHREE PITAR SHIKSHAN SANSTHAN THE CHR
POONARAM C पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री PARBURAM C
उम्र 50 वर्ष, जाति JAT व्यवसाय Business
निवासी GRAM DIGARI KALLA CITY:JODHPUR PINCODE:342027
District: JODHPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया ।

क्षर प्रस्तुतकर्ता
हस्ताक्षर उप पंजीयक,
202201053007719
JODHPUR-III
Lease deed 1 year to 30 year

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JODHPUR-III
उप पंजीयक (तृतीय), जोधपुर

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202202053007727
दिनांक	27-06-2022
पंजीयन शुल्क	4480
प्रतिलिपि शुल्क	0
पृष्ठांकन शुल्क	300
अन्य शुल्क १	0
कमी स्टाम्प शुल्क	22370
कमी सरचार्ज शुल्क	4480
कुल योग	31630

202201053007719

Lease deed 1 year to 30 year

उप पंजीयक,
JODHPUR-III
उप पंजीयक (तृतीय), जोधपुर

-: किरायानामा का पृष्ठ संख्या-03

4. यह है कि उक्त कियायासुदा जायदाद में बिजली व पानी का भी कनेक्शन लिया हुआ है जिसके बिलों की अदायगी मुझ प्रथम पक्षकार के अलावा किराये के संबंधित विभाग में जमा करवाता रहूंगा तथा उक्त बिलों की अदायगी में मुझ प्रथम पक्षकार द्वारा किसी भी प्रकार की चूक नहीं की जायेगी।

5. यह है कि मुझ प्रथम पक्षकार द्वारा उक्त किरायेसुदा जायदाद का किराया प्रतिमाह से प्रतिमाह दिया जायेगा, यदि प्रथम पक्षकार द्वारा लगातार 01 माह का किराया देने में असमर्थ होगा या डिफाल्ट रहेगा तो आप द्वितीय पक्षकार द्वारा उक्त किरायेसुदा जायदाद को तुरन्त खाली करवाने का अधिकार होगा, जिसमें प्रथम पक्षकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति या ऐतराज नहीं किया जायेगा।

6. यह है कि उक्त किरायेसुदा जायदाद को किराये पर लिया गया है, इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी या गैर सरकारी जांच या अन्य कोई कर आदि लगता है तो उसकी तमाम जिम्मेवारी प्रथम पक्षकार की होगी।

7. यह है कि प्रथम पक्षकार उक्त किराया सुदा जायदाद में किसी प्रकार की तोडफोड या रद्दोबदल नहीं करेगा एवं न ही ऐसा किसी प्रकार ऐसा कार्य किया जायेगा, जिससे कि किरायेसुदा परिसर में किसी भी प्रकार की परिवर्तन या परिवर्धन हो ।

8. यह है कि यदि उक्त किराये सुदा जायदाद में किसी भी प्रकार का रंग रोगन या मरम्मत की आवश्यकता होगी तो आप द्वितीय पक्षकार की सहमति से ही किया जायेगा अन्यथा किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जायेगा।

Endorsement of Execution

पक्षकारों का नाम व पता छायाचित्र	अंगूठा		पक्षकारों का प्रकार
1. [श्री/श्रीमती/सुश्री SHREE PITAR SHIKSHAN SANSTHAN THR CHR POONARAM C पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री PRABHU RAM C. व्यवसाय Other जाति JAT House No.:, Colony:,Area:,GRAM DRGARI KALLA, City: JODHPUR,State:RAJASTHAN Pin code:342027			Executant Age 50 Signature
2.[श्री/श्रीमती/सुश्री PARBHURAM CHOUDHARY पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ROOPARAM CHOUDHARY. व्यवसाय Other जाति JAT House No.:, Colony:,Area:,GRAM DRGARI KALLA, City: JODHPUR,State:RAJASTHAN Pin code:342027	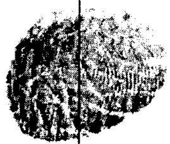		Claimant Age 76

ने लेख्यपत्र Lease deed 1 year to 30 year को पढ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 0/- पूर्व में मेरे समक्ष में से रू0/- पूर्व मै ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र	.गवाहों का नाम व पता	छायाचित	अंगूठा	हस्ताक्षर
1.	Name: [श्री/श्रीमती/श्री] SURJEET SINGH CHOUDHARY पु/पत्नि श्री OM PRAKASH PRAJAPAT Age: 52 Add: House No.:, Colony:,Area: RHC, City: JODHPUR, Pincode: 342005, District: JODHPUR, State: RAJASTHAN		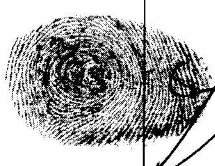	

Lease deed 1year to 30 years

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (प्रथम)
जोधपुर

9. यह है कि उक्त किरायासुदा जायदाद को मैं प्रथम पक्षकार अपने विद्यालय संचालन हेतू उपयोग में लुंगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य उक्त किरायासुदा जायदाद में नहीं करूंगा।

10. यह है कि प्रथम पक्षकार उक्त किरायासुदा जायदाद आगे से आगे किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट या उप किरायेदारी पर नहीं दूंगा।

11. यह है कि प्रथम पक्षकार उक्त किरायासुदा जायदाद में किसी भी प्रकार का न्यूसैन्स पैदा नहीं करूंगा, जिससे कि आप द्वितीय पक्षकार को या आस पड़ौस को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पडे एवं न ही ऐसा कोई किया जायेगा, जिससे किराये सुदा जायदाद को किसी प्रकार का नुकसान या क्षति पहुंचे यदि ऐसा हो तो उसके तमाम हर्जे खर्चे एवं जबावदारी एवं जिम्मेदारी प्रथम पक्षकार की होगी एवं रहेगी।

12. यह है कि द्वितीय पक्षकार अपनी आवश्यकता अनुसार जब भी उक्त किरायेसुदा जायदाद को किरायेदारी अवधि पूर्व खाली करवाना चाहे तो प्रथम पक्षकार को एक माह पूर्व सूचित करना होगा तथा प्रथम पक्षकार द्वारा उक्त किरायेसुदा जायदाद को किराये अवधि पूर्व ही खाली करना चाहेगा तो वह द्वितीय पक्षकार को एक माह पूर्व लिखित में सूचित कर किराये सुदा जायदाद को खाली किया जायेगा, जिसके लिऐ दोनों पक्षकारान् पाबन्ध रहेंगे।

13. यह है कि जब भी प्रथम पक्षकार द्वारा उक्त किरायेसुदा जायदाद को खाली किया जायेगा तो उसका वास्तविक एवं भौतिक कब्जा आप द्वितीय पक्षकार को सुपुर्द करके ही जायदाद को खाली किया जायेगा। जिसके लिऐ मैं प्रथम पक्षकार पुर्णतयाः पाबन्ध रहूंगा

यह है कि यदि मैं प्रथम पक्षकार उपरोक्त किरायेदारी की शर्तों की पालना करने में चूक करता हूँ तो द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार को बिना सूचित किये ही

किरायेदारी अवधि से पूर्व किराये सुदा जायदाद खाली करवा कर किरायेसुदा जायदाद का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। जिसमें प्रथम पक्षकार द्‌वारा किसी प्रकार की आपत्ति या उज्र ऐतराज नहीं किया जायेगा।

यह है कि आप द्‌वितीय पक्षकार ने इस बिल्डिंग के पास वाली खाली पड़ी भूमि बच्चों के लिए खेल मैदान हेतू मुझ प्रथम पक्षकार को आपसी सहमति से खेल के मैदान के लिऐ दी गई हैं।

लिहाजा यह किरायानामा मुझ प्रथम पक्षकार ने बिना किसी नशे पते के बिना किसी जोर दबाव के सोच समझ कर अक्ल होशियारी, बिना किसी जोर दबाव व फुसलाव के आप द्‌वितीय पक्षकार के हक में लिख दिया है जो सही है व सनद रहे तथा वक्त जरूरत काम आयें। इति दिनांक- 27-06-2022

जायदाद मालिक
(द्‌वितीय पक्षकार)

किरायेदार
(प्रथम पक्षकार)

साख - 01 साख एक लिख देता हूँ मैं सुरजीत सिंग पुत्र श्री बलबीरसिंह जी, जाति-जाट, निवासी-296 शिकारगढ़, जोधपुर में रहने वाला ने प्रथम पक्षकार के कहने से डाली है तथा प्रथम पक्षकार ने मेरे सामने इस दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान किये है।

साख --02 साख एक लिख देता हूँ मैं....
....पुत्र
श्री.......................................जाति..
निवासी...
....में रहने वाले की है।

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 22366166 मानते हुए इस पर देय कभी मुद्रांक राशि रु 22370 पर कभी पंजीयन शुल्क रु 4480, सरचार्ज राशि 4480 कुल रु 31330 रसीद संख्या 202202053007727 दिनांक 26/06/2022 में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को 22370 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202201053007719

Lease deed 1 year to 30 year

उप पंजीयक, JODHPUR-III

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर

Registration Endorsement

आज दिनांक 26/06/2022 को
पुस्तक संख्या 04 जिल्द संख्या 16 में
पृष्ठ संख्या 57 क्रम संख्या 202203053400146 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 04 जिल्द संख्या 31 के
पृष्ठ संख्या 828 से 842 पर चस्पा किया गया।

उप पंजीयक, JODHPUR-III

202201053007719
Lease deed 1 year to 30 year

उप पंजीयक (तृतीय)
जोधपुर